संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF RCC DRAIN AT W- 11 KISHAN RAMDAS KE MAKAN SE BADA PULL TAK /2026/286 इंदौर , दिनांक - 12-03-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

BISTAN NAGAR PARISHAD, जिला: KHARGONE

विषयः - CON OF RCC DRAIN AT W- 11 KISHAN RAMDAS KE MAKAN SE BADA PULL TAK की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0502-26-286

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में RCC Drain कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे।म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	CON OF RCC DRAIN AT W- 11 KISHAN RAMDAS KE MAKAN SE BADA PULL TAK	Municipal Fund	As per Estimation	1243400.85	223812.15	1467213.0

शर्ते-

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
2. तथ्यो को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
3. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना, बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
4. निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांरण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रुप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे ।

5. भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

6. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरुप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

7. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

8. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ड/सप्लीमेन्ट्री कार्यो के लिए नही। तथ्यो को छुपाने पर प्राप्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

9. सी.पी.डब्ल्यू. डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यो मे प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉंक्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्धारित आवृत्ति अनुसार परिक्षण कराया जावे । संतोषजनक परिक्षण परिणाम प्राप्त होन पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे ।

10. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूमि सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।

11. सीमेन्ट, कॉक्रींट एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण में स्टील सेन्टरिंग का उपयोग किया जावे । कॉक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे ।

12. निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार हअॅगे , तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

13. आर.सी.सी. नाली/नाला की स्ट्रकचरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शासकीय पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता से कराया जावे। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत मे परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा

14. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।

15. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।

16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागअॅ से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

19. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।

20. मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (2) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावें।

21 मध्यप्रदेश नगर पालिका (प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा पदाधिकारियअॅ की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम 1998 का नियम 7 (3) अनुसार संविदाकारअॅ से अनुबंध संपादन के समय पांच प्रतिश्ात राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा करायी जावें।

22. मध्यप्रदेश नगर पालिका (प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा पदाधिकारियअॅ की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम 1998 का नियम 5 (5) (एक) (ग्यारह) के प्रावधानअॅ के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।

23. प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर अनुमोदित की जा रही है कि स्थल विवादास्पद नहीं है, स्थल चयन, भूस्वामित्व का परीक्षण निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कर लें। विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/परिषद् उत्तरदायी रहेगी ।

24 तथ्यअॅ को छुपाकर निजी/ अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी । तथा इस

हेतु नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे ।
25. सभी प्रकार के निर्माण कार्य परफारमेन्स ग्यारंटी अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

Signature Not Verified

Signed by: Vishal Mohe
Reason: Project TS Certification
Location: 0502
Date: 2020-03-12 13:49:50

E-sign

Signature Not Verified

Digitally signed by SANTOSH KUMAR PARASHAR
Date: 2026.05.16 13:33:42 IST
Location: Madhya Pradesh-MP